उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1962)

THE UTTAR PRADESH PRAVIDHIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1962

(U.P. Act No. XVII of 1962)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 1962]

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1966

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1974

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने, दिनांक 18 सितम्बर, 1962 ई0 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 1 नवम्बर, 1962 ई0 की बैठक में स्वीकृत किया तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने पुनः दिनांक 5 नवम्बर, 1962 ई0 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा किये गये संशोधनों सहित, स्वीकृत किया।

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने, दिनांक 23 नवम्बर, 1962 ई0 को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में, दिनांक 30 नवम्बर, 1962 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश में एक प्राविधिक शिक्षा परिषद् की स्थापना तथा उसके संघटन और तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्ष नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

परिभाषाएं

2—विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में —

(क) ''सम्बद्ध संस्था'' का तात्पर्य अधिनियम के उपबन्धों के या तद्धीन बनाये गये विनियमों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम या किन्हीं पाठ्यक्रमों के विषय में परिषद् से सम्बद्ध संस्था से है ;

(ख) ''परिषद्'' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् से है ;

(ग) ''उपविधि'' का तात्पर्य धारा 24 के अधीन बनायी गयी उपविधियों से है ;

(घ) ''केन्द्र'' का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ निश्चित की गयी संस्था या स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुबद्ध (appurtenant) भू—गृहादि भी है ;

(ङ) ''प्रमाण—पत्र'' का तात्पर्य परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये प्रमाण—पत्र से है, जो समय—समय पर विनियमों द्वारा नियत किये जायें ;

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 20 अगस्त, 1962 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(च) ''सभापति'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सभापति से है ;

(छ) ''डिप्लोमा'' का तात्पर्य परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये डिप्लोमा से है, जो समय–समय पर विनियमों द्वारा नियत किये जायें ;

[1][और इसके अन्तर्गत प्रारम्भिक डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा, उच्चतर डिप्लोमा, इन्टरमीडिएट डिप्लोमा अथवा डिप्लोमोत्तर (पोस्ट डिप्लोमा) पाठ्य–क्रम पूरा करने के लिए दिया गया डिप्लोमा भी है।]

[2][(छछ) ''निदेशक'' का तात्पर्य प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत धारा 22–क से 22–छ के प्रयोजनार्थ निदेशक द्वारा तदर्थ प्राधिकृत कोई ऐसा अधिकारी भी है, जो उप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पद से नीचे का न हो।]

(ज) ''अधीक्षक'' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र में होने वाली परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में उस केन्द्र के अधीक्षक की सहायता करे और परियोजना परीक्षा के सम्बन्ध में इसके अन्तर्गत परियोजना प्रेक्षक भी है।

[3][(जज) किसी सम्बद्ध संस्था के सम्बन्ध में ''प्रबन्धतंत्र'' अथवा ''प्रबन्ध समिति'' का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति अथवा अन्य निकाय से है, जिसे उस संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने का भार सौंपा गया हो।]

(झ) ''सदस्य'' का तात्पर्य परिषद् के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसके सभापति तथा उप सभापति भी है ;

(ञ) ''विनियम'' का तात्पर्य धारा 23 के अधीन बनाये गये विनियमों से है ;

(ट) ''नियम'' का तात्पर्य धारा 22 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से है ;

(ठ) ''सचिव'' का तात्पर्य धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए परिषद् के सचिव से है ;

(ड) ''राज्य'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ;

(ढ) ''केन्द्र–अधीक्षक'' का तात्पर्य परिषद् की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त किये गए व्यक्ति से है और इसके अन्तर्गत अतिरिक्त अधीक्षक तथा सहयुक्त अधीक्षक भी है ; और

(ण) ''उपसभापति'' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए परिषद् के उपसभापति से है।

परिषद् की स्थापना

3–राज्य सरकार गजट में विज्ञाप्ति प्रकाशित करके, एक परिषद् की स्थापना करेगी जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् कहलायेगी और ऐसी विज्ञप्ति इस अधिनियम के आरम्भ होने के बाद किसी भी समय की जा सकती है, भले ही सदस्यों के एक या अधिक स्थान भरे जाने के लिए शेष हों।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1966 की धारा 2 द्वारा अन्तर्विष्ट।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 35, 1974 की धारा 2(1) द्वारा बढ़ाया गया।
3. उपर्युक्त की धारा 2(2) द्वारा बढ़ाया गया।

परिषद् का संघटन

[1][4–(1)] परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :

(1) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सभापति ;

(2) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक उप–सभापति ;

(3) राज्य विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित चार सदस्य ;

(4) राज्य विधान–परिषद् द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित दो सदस्य ;

(5) राज्य सरकार के [2][उद्योग और वित्त] विभागों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि;

(6) उद्योगों के राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो प्रतिनिधि ;

(7) राज्य में स्थित गर्ल्स डिग्री कालेजों की प्रधानाचार्याओं (प्रिंसिपलों) में से राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक प्रधानाचार्या ;

(8) भारत सरकार के [3][तत्समय–प्राविधिक शिक्षा का कार्य करने वाले मंत्रालय का एक प्रतिनिधि] ;

(9) आल इण्डिया काउन्सिल फार टेक्निकल एजूकेशन का नार्दन रीजनल कमेटी का एक प्रतिनिधि ;

(10) रेलवे बोर्ड का एक प्रतिनिधि ;

(11) इंस्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (इण्डिया) का एक प्रतिनिधि ;

(12) इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, कानपुर का एक प्रतिनिधि ;

(13) मिलिटिरी इंजीनियरिंग सर्विस, [4][के ऐसे कमाण्ड का एक प्रतिनिधि जिसका मुख्यालय राज्य में हो ;]

(14) परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों (प्रिंसिपलों) में से चार, नियमों में नियत रीति से आवर्तन द्वारा ;

[5][(15) किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट या अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित स्थापित प्रत्येक ऐसे विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि जिसमें अभियंत्रण या प्रोद्योग का संकाय हो, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय, किन्तु यदि ऐसे विश्वविद्यालयों की संख्या पांच से अधिक हो जाय तो नियमों द्वारा नियत रीति से आवर्तन द्वारा केवल पांच विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि होंगे ;]

(16) राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन (अभियंत्रण) तथा सिंचाई विभागों के मुख्य अभियन्ता – पदेन ;

(17) राज्य विद्युत परिषद् (स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड), उत्तर प्रदेश, का मुख्य अभियन्ता – पदेन ;

(18) रूड़की विश्वविद्यालय का उपकुलपति – पदेन ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 35, 1974 की धारा 3 द्वारा पुनःसंख्याकित।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1966 की धारा 3(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 3(2) द्वारा प्रतिस्थापित।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1966 की धारा 3(3) द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उपर्युक्त की धारा 3(4) द्वारा प्रतिस्थापित।

(19) [1][शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)] उत्तर प्रदेश–पदेन ;

(20) निदेशक, प्रशिक्षण एवं नियोजन, उत्तर प्रदेश–पदेन ;

(21) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश–पदेन ;

(22) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश–पदेन ;

(23) राज्य सरकार का विद्युत निरीक्षक (इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर)–पदेन ; और

(24) राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो व्यक्ति।

[2][(2) उपधारा (1) के खण्ड (16), (17), (19), (20), और (22) में उल्लिखित सदस्य परिषद् की बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को जो यथास्थिति, उप मुख्य अभियन्ता उप निदेशक के पद से नीचे का न हो, प्रतिनियुक्त कर सकते हैं और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी उस विशिष्ट बैठक में जिसके लिए वे प्रतिनियुक्त किए जायें, कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार होंगे और ऐसी बैठक में मत देने के भी हकदार होंगे।]

विशेषज्ञों का अनुमेलन

5–परिषद् तीन से अनधिक ऐसे व्यक्तियों को, जो परिषद् द्वारा निर्धारित पाठ्य–क्रमों में सम्मिलित विषयों के विशेषज्ञ हों, अनुमेलित कर सकती है। अनुमेलित व्यक्तियों के नाम और प्रत्येक (अनुमेलन का) कार्यकाल, जो तीन वर्ष से अधिक का न होगा, गजट में विज्ञापित किए जाएंगे।

सदस्यों की पदावधि

[3][**6**–(1) उपधारा (3) और (4) और धारा 7 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए,–

(क) धारा 4 के खण्ड (1) से (4), (6), (9) और (24) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल क्रमशः उन दिनांकों से तीन वर्ष होगा जब उनकी नियुक्ति गजट में विज्ञापित की जाये ;

(ख) धारा 4 के खण्ड (7), (14) तथा (15) में उल्लिखित सदस्यों का कार्यकाल वह होगा जो नियमों द्वारा नियत किया जाये।

(2) धारा 4 के खण्ड (5), (8) तथा (10) से (13) में उल्लिखित सदस्य समय–समय पर, समुचित प्राधिकारियों अथवा निकायों द्वारा नाम–निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(3) पदेन सदस्यों तथा उपधारा (2) में उल्लिखित सदस्यों से भिन्न, कोई सदस्य किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा जो परिषद् के सचिव को सम्बोधित होगा, अपना पद त्याग सकता है।

(4) जब कोई सदस्य उस पद पर न रह जाये, जिसके कारण वह सदस्यता के लिये पात्र हुआ हो अथवा जिस हैसियत से वह सदस्यता के लिये नाम–निर्दिष्ट किया गया हो, तो वह पदधारी न रह जायेगा।]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 35, 1974 की धारा 3(क) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 3(ख) द्वारा बढ़ायी गयी।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1966 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित।

सदस्य का हटाया जाना

7–राज्य सरकार किसी ऐसे सदस्य को सदस्यता से हटा सकती है जिसके विषय में उसे (राज्य सरकार) की यह राय हो कि उसने अपनी सदस्यता की स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है कि उसका परिषद् में बना रहना लोक हित के लिये हानिकर होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी सदस्य को उपर्युक्त प्रकार से हटाने के पहले उसको स्पष्टीकरण देने का अवसर देगी और उसके हटाये जाने के कारणों को अभिलिखित करेगी।

परिषद् की बैठकें

8–(1) परिषद् की बैठकें ऐसे समयों तथा स्थानों पर होगी और उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, वह अपनी बैठकों में कार्य–सम्पादन करने के लिये जिसके अन्तर्गत बैठकों की गण–पूर्ति भी है, ऐसी प्रक्रिया का पालन करेंगी जिनकी व्यवस्था तदर्थ बनायी गयी उपविधियों द्वारा की जाये।

(2) सभापति तथा उसकी अनुपस्थिति में उप–सभापति, परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। उन दोनों की अनुपस्थिति में, बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई सदस्य उस बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) परिषद् की बैठक में उठने वाले समस्त, प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, और मतों के बराबर होने की दशा में उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

रिक्ति आदि के कारण कार्य या कार्यवाहियां अवैध न होंगी

9–परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां परिषद् या समिति में कोई रिक्ति या उसके संघटन में कोई त्रुटि होने के कारण हो या प्रक्रियायें कोई ऐसी अनियमतता होने के कारण जिससे मामले का गुण–दोष पर प्रभाव न पड़े, अवैध न समझी जायेगी।

परिषद् का कार्यालय

10–परिषद् का कार्यालय उत्तर प्रदेश में उस स्थान पर होगा जो राज्य सरकार निश्चित करें।

परिषद् का सचिव

11–(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने में परिषद् की सहायता करने के निमित्त उसका एक सचिव नियुक्त करेगी।

(2) सचिव सरकारी कर्मचारी होगा।

परिषद् के कृत्य और कर्त्तव्य

12–इस अधिनियम के उपबन्धों और तद्धीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों के अधीन रहते हुए परिषद् के निम्नलिखित कृत्य ओर कर्त्तव्य होंगे –

(1) संस्थाओं को सम्बद्ध करना और अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये पाठ्यक्रम तथा शिक्षण–क्रम नियत करना ;

(2) सम्बद्ध संस्थाओं की इमारतों तथा सज्जा के लिये मानदण्ड नियत करना ;

(3) सम्बद्ध संस्थाओं के कर्मचारी वर्ग के लिये शैक्षिक अर्हतायें तथा अन्य मानदण्ड नियत करना ;

(4) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती के लिये शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें नियत करना ;

(5) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों के भर्ती किये जाने की रीति नियत करना ;

(6) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को प्रविष्ट करना ;

(7) निम्नतर कक्षाओं से उच्चतर कक्षाओं में प्रोन्नति के निमित्त तथा प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा देने के निमित्त भी परीक्षाएं संचालित करना ;

(8) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के परीक्षाफल प्रकाशित करना ;

(9) उन विद्यार्थियों को, जिन्होंने किसी सम्बद्ध संस्था में नियत पाठ्य–क्रमों को पूरा कर लिया हो और उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हों, प्रमाण–पत्र तथा डिप्लोमा देना ;

(10) अन्य प्राधिकारियों तथा निकायों के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये सहयोग करना जो इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक हों;

(11) प्राविधिक शिक्षा के समन्वित विकास तथा तत्संबंधी प्रशिक्षण के विषय में राज्य सरकार को परामर्श देना ;

(12) इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन अन्य समस्त कार्य करना, जो उसके कृत्यों का यथोचित निर्वहन करने के लिये आवश्यक हों, और

(13) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उस पर आरोपित किये जायें।

परिषद् के अधिकार

13–(1) परिषद् को इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए, वे सब अधिकार जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के अधीन उसके कत्यों के निर्वहन तथा कर्त्तव्यों के पालन के लिये आवश्यक हों।

(2) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना परिषद के निम्नलिखित अधिकार होंगे।

(1) किसी ऐसे अभ्यर्थी की परीक्षा की रद्द करना या उसके परीक्षाफल को रोक लेना या उसे किसी भावी परीक्षा में बैठने से वर्जित कर देना, जिसे वह–

[1][(क) परीक्षा में अनुचित उपायों का प्रयोग करने का ; या

(ख) संस्था अथवा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये प्रार्थना–पत्र में कोई सत्य विवरण देने या महत्वपूर्ण सूचना अथवा तथ्य छिपाने का ; या

(ग) परीक्षा में कपट करने अथवा प्रतिरूपण का ; या

(घ) उक्त परीक्षा में प्रवेश के नियमों का उल्लंघन करके परीक्षा में प्रवेश पाने का ; या

(ङ) परीक्षा के दौरान में किसी घोर अनुशासनहीनता का ; दोषी पाये।]

[2][(1–अ) किसी परीक्षा में ऐसे अभ्यर्थी के अंक काट लेना जिसे वह किसी परीक्षा के दौरान में किसी अनुशासनहीनता का दोषी पाये ;] और

(2) किसी ऐसे अभ्यर्थी का परीक्षा–फल रद्द करना [3][जिसे वह] खण्ड (1) के उपखण्डों (क) से (घ) तक में दिये गये कार्यों में सभी या किसी का दोषी [3][पाये] गये अथवा ऐसा परीक्षाफल रद्द करना जिसकी घोषणा में परिषद् द्वारा कोई सद्भावनापूर्ण भूल हो गयी हो ;

---

1. उ0प्र0 अधिनियम सं0 23, 1966 की धारा 5(1) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. उपर्युक्त की धारा 5 (2) द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उपर्युक्त की धारा 5 (3) द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् की सद्भावनापूर्ण भूल के कारण कोई परीक्षा फल उसकी घोषणा के दिनांक से नब्बे दिन व्यतीत हो जाने पर रद्द न किया जायेगा।

(3) अपने द्वारा संचालित परीक्षाओं के लिये शुल्क नियत करना और उनकी वसूल करने की रीति की व्यवस्था करना ;

(4) किसी ऐसी संस्था को सम्बद्ध करने से इन्कार करना –

(क) जो कर्मचारी वर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं करती या उन्हें पूरा करने की स्थिति में नहीं है अथवा उन तक नहीं पहुँचती है ; या

(ख) जो परिषद् द्वारा तदर्थ निर्धारित सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती या उनका पालन करना नहीं चाहती ;

(5) ऐसी संस्था की सम्बद्धता वापस लेना जो कर्मचारी वर्ग, शिक्षण, सज्जा या इमारत के लिये परिषद् द्वारा निर्धारित मापदण्डों को पूरा नहीं कर सकती या उनके अनुसार व्यवस्था नहीं कर सकती, अथवा जो परिषद् के संतोषानुसार सम्बद्धता की शर्तों का पालन नहीं करती ;

(6) नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निदेशों के किसी उल्लंघन के सम्बन्ध में सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानों से प्रतिवेदन मांगना और नियमों या विनियमों या परिषद् के निर्णयों, अनुदेशों अथवा निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी रीति से उचित कार्यवाही करना, जो विनियमों द्वारा नियत की जाय ;

(7) यह सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध संस्था का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्य–क्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाये और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उनका यथोचित उपयोग हो ; और

(8) उन विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना जो किसी सम्बद्ध संस्था में पाठ्यक्रमों के लिये भर्ती किये जा सकें ;

(3) उपधारा (1) तथा (2) में उल्लिखित समस्त मामलों में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

राज्य सरकार के अधिकार

14–(1) राज्य सरकार परिषद् द्वारा किये गये या उसके द्वारा संचालित किसी काम के विषय में या परिषद् से सम्बन्ध रखने वाले किसी मामले में अपने विचार परिषद् को संसूचित कर सकती है और तदुपरान्त परिषद् राज्य सरकार को उस कार्यवाही की सूचना देगी जो उनके सम्बन्ध में उसने की हो या करने का उसका विचार हो।

(2) यदि परिषद् उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे या की गयी अथवा की जाने वाली कार्यवाही की उसे सूचना न दे तो, राज्य सरकार, परिषद् द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों से संगत ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जो वह उचित समझे। परिषद् उक्त निदेशों का पालन उनमें उल्लिखित समय के भीतर करेगी, और यदि वह उनका पालन न करे, तो राज्य सरकार ऐसी समस्त कार्यवाही कर सकती है जो वह उक्त निदेशों को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

[1][(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार किसी भी आपाती दशा में जिसके कारण उसकी राय में तात्कालिक कार्यवाही करना आवश्यक हो, परिषद् को पहले अभिदिष्ट किये बिना इस अधिनियम के स्पष्ट उपबन्धों से संगत ऐसे कोई निदेश जारी कर सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जो वह उचित समझे।]

सभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

15–(1) सभापति को, परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुये, उसके निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिये अपेक्षित सभी कार्य करने का अधिकार होगा। वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत किये जायें।

(2) सभापति को धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन संगठित समितियों के निर्णयों पर परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए, ऐसे आदेश देने का अधिकार होगा जो परिषद् के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत हों तथा जिन्हें वह उचित समझे। सभापति इस प्रकार दिए गए प्रत्येक आदेश की सूचना परिषद् की उसकी अगली बैठक में देगा।

(3) सभापति, ऐसी आपातिक दशा में, जिसमें उसकी राय में तात्कालिक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित हो, परिषद् की क्षमता के अन्तर्गत आने वाले किसी भी मामले में कार्यवाही कर सकता है और इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुये लिखित आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही कर सकता है जो वह आवश्यक समझे तदुपरान्त सभापति तुरन्त परिषद् को, उसकी अगली बैठक में इस प्रकार की गयी कार्यवाही की सूचना देगा।

(4) धारा 14 की उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद् उपधारा (2) अथवा (3) के अधीन सभापति द्वारा किये गये आदेश की पुष्टि कर सकती है या उसे रद्द या परिष्कृत कर सकती है और सभापति द्वारा की गयी कार्यवाही से उत्पन्न होने वाले मामले के सम्बन्ध में ऐसे अन्य आदेश दे सकती है जो इष्टकर या आवश्यक समझे जायें।

(5) धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कोई कार्यवाही या दिया गया कोई आदेश अंतिम होगा चाहे वह किसी ऐसे मामले के सम्बन्ध में हो जिस पर सभापति द्वारा उपधारा (2) अथवा (3) के अधीन कार्यवाही की गयी हो अथवा अन्य प्रकार का हो, और किसी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जायेगी तथा इस धारा के अधीन सभापति या परिषद् द्वारा दिये गये किसी भी आदेश पर अभिभावी होगा।

उपसभापति के अधिकार और कर्त्तव्य

16–उपसभापति, सभापति के ऐसे अधिकारों का प्रयोग तथा ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत अथवा सभापति द्वारा प्रतिनिहित किये जायें।

सचिव के अधिकार और कर्त्तव्य

17–सचिव, परिषद् का मुख्य प्रशासी अधिकारी होगा और परिषद् के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुये, उसके निर्णयों के कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी होगा वह ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियमों द्वारा नियत किये जायें, और विशेष रूप से वह –

(क) लेखा प्राक्कलन तथा आय–व्ययक के वार्षिक विवरण–पत्र तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 23, 1966 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि परिषद् को प्रदिष्ट समस्त धनराशियां उन्हीं प्रयोजनों के लिये खर्च की जाये जिनके लिये वे प्रदिष्ट की गयी हों ;

(ग) परिषद् की बैठकों के कार्यवृत्त रखने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(घ) परिषद् की बैठकों में उपस्थित रहने और कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु उसे मतदान करने का अधिकार न होगा।

समितियों तथा उपसमितियों का संघटन

18–(1) परिषद् पाठ्यक्रम समितियां एक परीक्षा समिति, एक निरीक्षण एवं संबद्धता समिति और ऐसी अन्य समितियां संगठित करेगी जो नियमों या विनियमों द्वारा नियत की जायें। सचिव ऐसी प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन संगठित किसी समिति में उतने सदस्य और अन्य व्यक्ति होंगे जिन्हें परिषद् उसमें नियुक्त करे। समिति का कार्यकाल और उसके सदस्यों की संख्या वह होगी जो विनियमों द्वारा नियत की जायें।

(3) परिषद् की कोई समिति उतने व्यक्तियों को ऐसी अवधि के लिये अनुमेलित कर सकती है जो वह उचित समझे ; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुमेलित सदस्यों की संख्या समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक न होगी।

(4) समिति का सदस्य या उसके द्वारा अनुमेलित व्यक्ति यथास्थिति, परिषद् या समिति को लिखित रूप में सम्बोधित करके अपना पद त्याग सकता है।

(5) उपधारा (4) के अधीन त्याग–पत्र देने के कारण या किसी अन्य कारण समिति में हुई किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति, यथास्थिति, उपधारा (2) या (3) में व्यवस्थित रीति से पुनः नियुक्ति या अनुमेलन द्वारा की जायेगी।

(6) इस अधिनियम के अधीन नियुक्त समिति ऐसे प्रयोजनों के लिये जो विनियमों द्वारा नियत किए जायं, तथा ऐसी अवधि के लिए, जो वह उचित समझे, उपसमितियां संगठित कर सकती है।

परिषद् द्वारा समितियों को प्रतिनिधान और अभिदेश

[1]**[19**–(1) परिषद् सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, या तो बिना शर्त के अथवा ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हों, जिसके अन्तर्गत उसके द्वारा स्वयं पुनर्विलोकन करने की शर्त भी है, अधीन रहते हुए, जो आदेश में निर्दिष्ट की जायें, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी समिति को, इस अधिनियम के अधीन अपने उन अधिकारों तथा कर्त्तव्यों को प्रतिनिहित कर सकती है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों के प्रयोग, कर्त्तव्यों का पालन तथा कृत्यों के निर्वहन के दौरान में उठने वाले किसी प्रश्न को उपर्युक्त समिति को अभिलिखित कर सकती है और, जब कभी इस प्रकार का अभिदेश किया जायें तो परिषद् उस पर निर्णय लेने के पूर्व समिति के प्रतिवेदन, सिफारिशों तथा सुझावों पर विचार करेगी।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1966 की धारा 8 द्वारा प्रतिस्थापित।

परिषद् के आदेशों तथा अन्य कारणों का प्रमाणीकरण

20–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन रहते हुए परिषद् के समस्त निर्णय उसके द्वारा यथाविधि पारित संकल्प द्वारा किये जाएंगे, और सभापति के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य सदस्य के, हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जायेंगे।

(2) परिषद् की ओर से निष्पादित समस्त कारण, परिषद् के सचिव के या परिषद् द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जायेंगे।

केन्द्र अधीक्षक तथा अभीक्षक लोक सेवक होंगे

21–(1) प्रत्येक केन्द्र अधीक्षक और प्रत्येक अभीक्षक परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा की अवधि में तथा ऐसी परीक्षा के प्रारम्भ होने के पूर्व एक मास तक और ऐसी परीक्षा समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् दो मास तक इण्डियन पीनल कोड की धारा 21 के अर्थ में पब्लिक सर्वेन्ट (लोक सेवक) समझे जायेंगे।

अधिनियम संख्या 45, 1860 ऐक्ट संख्या 5, 1898

[1][(2) केन्द्र के किसी अधीक्षक या अभीक्षक पर उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि में आक्रमण या आपराधिक बल प्रयोग करने की लोक सेवक के कृत्यों के निर्वहन में स्वैच्छाया बाधा डालना समझा जाएगा, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 के अधीन दण्डनीय होगा और वह कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 में किसी बात के होते हुए भी, संज्ञेय अपराध होगा।]

नियम बनाने का अधिकार

22–(1) राज्य सरकार, विज्ञप्ति द्वारा और गजट में पूर्व प्रकाशन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है –

[2][(क) धारा (4) खण्ड (7), (14) और (15) में उल्लिखित सदस्यों के आवर्तन की रीति और उनकी पदावधि।

(ख) परिषद् समिति और उप समितियों के सदस्यों और उनमें अनुमेलित व्यक्तियों की देय यात्रा भत्तों तथा दैनिक भत्तों की दरें और उनके भुगतान की रीति;

(ग) परिषद्, सभापति, उप सभापति और सचिव के अतिरिक्त अधिकार, कर्त्तव्य और कृत्य ; और

(घ) कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम, के अधीन नियमों द्वारा नियत किया जाना हो या नियत किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों मे कुल चौदह दिन तक रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कार या अभिशून्यन (annulment) के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 23, 1966 की धारा 9 द्वारा धारा 21 की संख्या बदल कर उसे उसकी उपधारा (1) कर दिया गया और उपधारा (2) बढ़ा दी गयी।
2. उपर्युक्त की धारा 10 द्वारा प्रतिस्थापित।

प्रशासन योजना

[1][**22–क**–(1) किसी विधि, लेख्य या डिग्री या न्यायालय के किसी आदेश या अन्य संलेख में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक संस्था के लिए चाहे वह उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा उसके पश्चात् सम्बद्ध हुआ हो, एक प्रशासन योजना होगी।

(2) प्रशासन योजना में अन्य बातों के साथ–साथ ऐसी प्रबन्ध समिति संगठित करने की व्यवस्था होगी, जिसमें सम्बद्ध संस्था के कार्यकलापों का प्रबन्ध तथा संचालन करने का प्राधिकार निहित होगा।

(3) सम्बद्ध संस्था का प्रधानाचार्य प्रबन्ध समिति का पदेन सदस्य होगा, जिसे मत देने का अधिकार होगा।

(4) सम्बद्ध संस्था का प्रधानाचार्य उस दशा में प्रबन्ध समिति की बैठक में न तो उपस्थित होगा और न मत देने के अपने अधिकार का प्रयोग करेगा जब कभी उसके व्यक्ति आचरण से सम्बन्धित आरोप पर विचार विमर्श किया जा रहो हो।

(5) प्रशासन योजना में, किन्हीं विनियमों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य और प्रबन्ध समिति की अपनी–अपनी शक्तियों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों का भी वर्णन होगा।

(6) यदि एक से अधिक सम्बद्ध संस्था एक ही निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित हों, तो प्रत्येक ऐसी संस्था के लिए जब तक किसी वर्ग की सम्बद्ध संस्थाओं के लिए विनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, एक पृथक् प्रबन्ध समिति होगी।

(7) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था की प्रशासन योजना निदेशक के अनुमोदनाधीन होगी और ऐसी योजना में निदेशक के लिखित पूर्व अनुमोदन के बिना किसी समय न तो कोई संशोधन और न कोई परिवर्तन किया जायेगा।

(8) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था का प्रबन्ध इस धारा और धारा 22–ख तथा 22–ग के अधीन तथा उनके अनुसार बनाई गई प्रशासन योजना के अनुसार किया जायेगा।

अवधि जिसके भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत की जायगी

22–ख–(1) उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के दिनांक को पहले से ही सम्बद्ध संस्था की दशा में प्रशासन योजना का एक प्रारूप उक्त प्रारम्भ से छः मास के भीतर धारा 22ग के अनुसार तैयार किया जायेगा और निदेशक को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा तथा अन्य सभी मामलों में सम्बद्धता के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) यदि कोई ऐसी संस्था जो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ होने के समय पहले से ही सम्बद्ध हो, व्यवस्थित अवधि के भीतर उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करती है तो निदेशक ऐसी संस्था को एक नोटिस भेजेगा जिसमें उससे तीन मास के अग्रेतर अवधि के भीतर प्रशासन योजना प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी :

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1974 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

प्रतिबन्ध यह है कि बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति के पूर्व सम्बद्ध संस्था द्वारा अभ्यावेदन दिए जाने पर निदेशक स्वविवेक से, अवधि को अग्रेतर तीन मास के लिए बढ़ा सकता है।

(3) यदि योजना अनुमत समय के भीतर प्रस्तुत न की जाये तो निदेशक धारा 22–घ की उपधारा (3) के खण्ड (क) या (ख) के अनुसार कार्यवाही करेगा।

प्रशासन योजना के प्रारूप का अनुमोदन

22–ग–(1) प्रशासन योजना का अनुमोदन करने के लिए सिद्धांतों को नियंत्रित करने वाले विनियमों के अधीन रहते हुए, निदेशक ऐसी समयावधि के भीतर, जैसी विनियमों में निर्दिष्ट की जाय, या तो धारा 22–ख के अधीन प्रस्तुत की गई प्रशासन योजना के प्रारूप का अनुमोदन करेगा या उसमें किसी परिवर्तन अथवा परिष्कार का सुझाव देगा।

(2) यदि निदेशक उपधारा (1) के अधीन प्रशासन योजना के प्रारूप में किसी परिष्कार का सुझाव दे तो वह उसके लिए अपने कारणों को बताते हुये, उसकी एक प्रति सम्बद्ध संस्था को भेजेगा और ऐसी संस्था को, ऐसी समयावधि के भीतर जैसी विनियमों में निर्दिष्ट की जाय, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक विनियमों में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर योजना के प्रारूप में किसी परिवर्तन या परिष्कार का सुझाव न दे तो योजना का प्रारूप अनुमोदित समझा जायगा।

(3) निदेशक उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार दिए गए किसी अभ्यावेदन पर विचार करेगा और प्रशासन योजना का अनुमोदन उसके मूल रूप में अथवा उक्त उपधारा के अधीन सुझाए गए परिष्कार के रहते हुए अथवा किसी अन्य परिष्कार के साथ जो उसे ठीक और उचित प्रतीत हो, कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक प्रशासन योजना में किसी नये परिष्कार का प्रस्ताव करे तो वह सम्बद्ध संस्था को ऐसी समयावधि के भीतर जैसी विनियमों में निर्दिष्ट हो, अभ्यावेदन देने का अवसर देगा।

सम्बद्ध संस्था का निरीक्षण तथा त्रुटियों का निराकरण

22–घ–(1) निदेशक किसी सम्बद्ध संस्था का समय–समय पर निरीक्षण करा सकता है।

(2) निदेशक निरीक्षण के समय अथवा अन्य प्रकार से पाई गई किसी त्रुटि या कमी का निराकरण करने के लिए किसी सम्बद्ध संस्था के प्रबन्धतंत्र को निदेश दे सकता है।

(3) यदि प्रबन्धतंत्र उपधारा (2) के अधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में चूक करे तो निदेशक, प्रबन्धतंत्र द्वारा दिए गए किसी स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् –

(क) सम्बद्धता वापस लेने के लिए मामला परिषद् को अभिदिष्ट कर सकता है, या

(ख) उपधारा (4) के अधीन सम्बद्ध संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकार को सिफारिश कर सकता है।

(4) यदि उपधारा (3) के खण्ड (ख) में अभिदिष्ट सिफारिश के प्राप्त होने पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि संस्था के हित में यह आवश्यक है कि उस संस्था का प्रबन्ध किसी प्राधिकृत नियंत्रण को सौंप दिया जाये तो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिए जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय एक प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त कर सकती है

और वह प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्ध समिति या अन्य किसी भी व्यक्ति की अपवर्जित कर संस्था का प्रबन्ध जिसके अन्तर्गत संस्था की अथवा उसमें निहित भूमि, भवन, निधि तथा अन्य परिसम्पत्तियां भी है अपने हाथ में ले सकता है, और जब कभी प्राधिकृत नियन्त्रक इस प्रकार प्रबन्ध अपने हाथ में ले जो उसे, केवल ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आरोपित करे, संस्था के प्रबन्ध के सम्बन्ध में ऐसी सभी शक्तियां तथा प्राधिकार होंगे जो प्रबन्ध समिति को होते यदि इस उपधारा के अधीन कोई आदेश न दिया गया होता।

(5) वह अवधि जिसके लिए उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश दिया जा सकता है, प्रथमतः एक वर्ष से अधिक न होगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि संस्था का समुचित प्रबन्ध बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसा करना इष्टकर है तो वह समय–समय पर आदेश के प्रवर्तन को एक बार में एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जैसा वह निर्दिष्ट करे, बढ़ा सकती है किन्तु इस प्रकार आदेश के प्रवर्तन की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत उपधारा (4) के अधीन प्रारम्भिक आदेश में निर्दिष्ट अवधि भी है, पांच वर्ष से अधिक न हो :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर संस्था की विधिपूर्वक संघटित कोई प्रबन्ध समिति न हो तो प्राधिकृत नियन्त्रक प्रबन्ध अपने हाथ में तब तक रखेगा जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्ध समिति विधिपूर्वक संघटित हो गई है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार उपधारा (4) या इस उपधारा के अधीन दिए गए किसी आदेश की किसी समय विखण्डित कर सकती है।

(6) कोई व्यक्ति जो उपधारा (4) के अधीन प्राधिकृत नियन्त्रक नियुक्त किया जाय, सौंपे गए कर्त्तव्यों का पालन करने में अपने द्वारा सद्भावना से किये गये कृत्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरादायी न होगा।

(7) उपधारा (4) के अधीन दिया गया कोई आदेश या निदेश संस्था के प्रबन्ध तथा नियन्त्रण (जिसके अन्तर्गत कोई प्रशासन योजना भी है) से सम्बन्धित अथवा संस्था की या उसमें निहित किसी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियमिति या संलेख में तत्सम्बन्धी कोई असंगत बात अन्तर्विष्ट होने पर भी प्रभावी होंगे।

(8) उपधारा (3) के खण्ड (क) के अधीन सम्बद्धता वापस लेने के लिए परिषद् द्वारा दिए गए किसी आदेश और उपधारा (4) के अधीन दिए गए किसी आदेश पर किसी न्यायालय मे कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

(9) इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियां किसी अन्य विधि के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत नियन्त्रक को प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के अतिरिक्त होंगी और उनका अल्पीकरण करने वाली न होंगी।

अध्यापकों की नियुक्ति

22–ङ–(1) प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तथा अध्यापकों की अर्हतायें विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी :

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद्, निदेशक की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् किसी व्यक्ति को उसके अनुभव, शिक्षा तथा अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम अर्हताओं की अपेक्षाओं से छूट दे सकती है।

(2) प्रत्येक सम्बद्ध संस्था में अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन करने के प्रयोजनार्थ एक चयन समिति संघटित की जायेगी जिसमें ऐसी संस्था का अध्यक्ष उसका पदेन सदस्य होगा।

(3) किसी सम्बद्ध संस्था के प्रधानाचार्य का चयन करने के लिए इसी प्रकार तीन सदस्यों की एक चयन समिति होगी, जिसमें से एक व्यक्ति उपधारा (4) में अभिदिष्ट संभागीय पैनल में से प्रबन्ध समिति द्वारा चुना गया ऐसा व्यक्ति होगा जो उस जिले का न हो जहां सम्बद्ध संस्था स्थित हो।

(4) निदेशक उपधारा (3) में अभिदिष्ट चयन समिति में नाम–निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक संभाग के निमित्त व्यक्तियों का एक पैनल बनायेगा।

(5) उपधारा (2) तथा (3) में अभिदिष्ट चयन समिति का संघटन उसकी बैठकों में कार्य संचालन, संभागीय पैनलों को तैयार किया जाना तथा अन्य विषय विनियमों द्वारा विनियमित होंगे।

प्रधानाचार्य तथा अध्यापक के चयन की प्रक्रिया

22–च–(1) एतद्पश्चात् निर्दिष्ट उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी सम्बद्ध संस्था में प्रधानाचार्य या अध्यापक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि –

(क) विनियमों में निर्धारित अर्हतायें उसके पास न हो अथवा उसे धारा 22–ङ की उपधारा (1) के अधीन ऐसी अर्हताओं से छूट न दी गई हो,

(ख) उसके लिये उक्त धारा की उपधारा (2) या उपधारा (3), जैसी भी दशा हो, के अधीन संघटित चयन समिति द्वारा सिफारिश न की गई हो और निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन न किया गया हो :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि निदेशक का यह समाधान हो जाये कि किसी सम्बद्ध संस्था के लिये कोई ऐसा अभ्यर्थी जो विनियमों द्वारा निर्धारित सभी अर्हतायें रखता हो, नियुक्ति के लिये उपलब्ध नहीं है, तो वह सम्बद्ध संस्था को एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति अस्थायी रूप से सेवायोजित करने की अनुज्ञा दे सकता है।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि एक वर्ष की ऐसी अवधि निदेशक के पूर्वानुमोदन से बढ़ाई जा सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि छुट्टी की रिक्ति अथवा सम्बद्ध संस्था के सत्र के किसी भाग के लिये होने वाली किसी रिक्ति की दशा में कोई प्रधानाचार्य या अध्यापक नियुक्त करना प्रबन्ध समिति के लिये विधिपूर्ण होगा, और उस दशा में ऐसी नियुक्ति की सूचना निदेशक को तत्काल दी जायगी।

(2) चुने गये अभ्यर्थी का नाम अनुमोदन के लिये निदेशक की सूची के साथ भेजा जायेगा जिसमें उन सभी अभ्यर्थियों के जिन्होंने चयन के लिये आवेदन–पत्र दिया हो, नाम, अर्हतायें तथा ऐसे अन्य ब्योरे होंगे, जो विनियमों द्वारा निर्धारित किये जायें।

(3) निदेशक, उपधारा (2) में उल्लिखित संगत पत्रादि की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर अपना निर्णय देगा। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि अनुमोदन दे दिया गया है।

(4) यदि निदेशक उपधारा (1) के अधीन प्रस्तावित किसी नाम का अनुमोदन उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, न करे तो प्रबन्ध–तंत्र अनुमोदन की प्राप्ति के तीन सप्ताह के भीतर उसके विरुद्ध राज्य सरकार को अभ्यावेदन दे सकता है जिसका उस विषय में निर्णय अन्तिम होगा।

(5) यदि उपधारा (2) के अधीन की गयी सिफारिश, अनुमोदित कर दी गई हो और उपधारा (4) के अधीन प्रबन्धतंत्र का अभ्यावेदन, यदि कोई हो, अस्वीकार कर दिया गया हो तो चयन समिति धारा 22–ङ तथा इस धारा में व्यवस्थित रीति से अनुमोदन के लिये दूसरे नाम का चयन और सिफारिश करने की कार्यवाही करेगी।

(6) यदि उपधारा (5) के अधीन किया गया चयन पुनः अनुमोदित कर दिया जाये और अनुमोदन के विरुद्ध अभ्यावेदन, यदि कोई हो, स्वीकार न किया गया हो तो निदेशक रिक्ति के लिये आवेदन–पत्र देने वाले अभ्यर्थियों की सूची में से किसी भी अर्हता प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और ऐसी नियुक्ति अन्तिम होगी।

अध्यापकों की पदच्युति या हटाया जाना आदि

22–छ–(1) कोई प्रधानाचार्य य अध्यापक, निदेशक की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना, न तो सेवा से उन्मुक्त या हटाया या पदच्युत किया जा सकता है, न पंक्तिच्युत किया जा सकता है, न उसकी उपलब्धियों में कोई कमी की जा सकती है और न उस पर सेवा समाप्त करने की नोटिस तामील की जा सकती है। निदेशक का निर्णय ऐसी अवधि के भीतर जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा की जाय, संसूचित किया जायेगा।

(2) निदेशक दण्ड का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकता है अथवा उसे घटा या बढ़ा सकता है या प्रबन्ध–तंत्र द्वारा प्रस्तावित सेवा की समाप्ति की नोटिस का अनुमोदन या अननुमोदन कर सकता है :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी दण्ड की दशा में आदेश देने के पूर्व, निदेशक प्रधानाचार्य या अध्यापक को नोटिस की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर यह कारण बताने का अवसर देगा कि प्रस्तावित दण्ड का अनुमोदन क्यों न कर दिया जाय।

(3) इस धारा की कोई बात किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान अथवा उसके ध्यान में रखते हुए निलम्बन के किसी आदेश पर लागू न होगी।][1]

विनियम बनाने का अधिकार

23–(1) परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये इसके उपबन्धों तथा तद्धीन बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकती है और उसे राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेज सकती है। राज्य सरकार विनियमों का अनुमोदन या उसमें परिष्कार या परिवर्तन कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विनियम गजट में प्रकाशित किये जायेंगे और प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे, किन्तु यदि कोई दिनांक निर्दिष्ट किया जाये तो उस दिनांक से, प्रभावी होंगे।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विनियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है :–

(क) इस अधिनियम के अधीन संघटित समितियों तथा उप–समितियों की नियुक्ति, संघटन, अधिकार और कर्त्तव्य ;

(ख) प्रमाण–पत्र तथा डिप्लोमा प्रदान करने की रीति और शर्तें ;

(ग) संस्थाओं को सम्बद्ध करने की शर्तें ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1974 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

(घ) प्रमाण–पत्रों तथा डिप्लोमों के निमित्त परीक्षाओं के लिये नियत किये जाने वाले पाठ्यक्रम ;

(ङ) वे शर्तें, जिनके अधीन अभ्यर्थी परिषद् की परीक्षाओं में बैठ सकेंगे और प्रमाण–पत्र तथा डिप्लोमा पाने के पात्र होंगे ;

(च) परिषद् की परीक्षाओं में बैठने के लिये शुल्क और उनकी वसूली की रीति;

(छ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ज) परिषद् की परीक्षाओं के सम्बन्ध में परीक्षकों, प्रश्न–पत्र परिष्कारकों (moderators), तुलनाकारों (collators), परिनिरीक्षकों (serutinesers), सारिणीकारों (tabulators), केन्द्र निरीक्षकों, केन्द्र के अधीक्षकों तथा अभीक्षकों की नियुक्ति और उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य तथा उसके पारिश्रमिक की दरें ;

(झ) सम्बद्धता प्राप्त करने की इच्छुक संस्थाओं के लिये आवश्यक इमारतों, जिसके अन्तर्गत उनसे सम्बद्ध भूमि भी है, सज्जा तथा उपकरण के मानदण्ड ;

[1][(ञ) सम्बद्ध संस्थाओं के अध्यापक और गैर अध्यापक वर्ग के सदस्यों की अर्हतायें, सेवा की शर्तें, वेतनक्रम तथा संख्या ;]

(ट) परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं के फल प्रकाशित करना ;

(ठ) सम्बद्ध संस्था में भर्ती के लिये विद्यार्थियों की न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य अर्हतायें ;

(ड) सम्बद्ध संस्थाओं में विद्यार्थियों की भर्ती ;

(ढ) यह सुनिश्चित करने के लिये सम्बद्ध संस्थाओं का निरीक्षण करना कि नियत पाठ्यक्रमों का यथोचित रूप से अनुसरण किया जाये और शिक्षण की सुविधाओं की यथोचित व्यवस्था की जाये तथा उसका यथोचित उपयोग हो ;

(ण) वे परिस्थितियां जिनमें अभ्यर्थी को परिषद् की परीक्षा में बैठने या सम्बद्ध संस्था में पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति न दी जाये ;

(त) परिषद् द्वारा संचारित परीक्षा के फल को रोकना या रद्द करना तथा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षा को किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में रद्द करना ;

(थ) वे परिस्थितियां जिनके अधीन किसी संस्था की सम्बद्धता वापस ली जाये या उसे सम्बद्ध करने से इन्कार किया जाये ;

(द) केन्द्र का निरीक्षण करना ; [* * *][2]

[3][(दक) प्रधानाचार्य तथा प्रबन्ध समिति की शक्तियां, कर्त्तव्य और कृत्य ;

(दख) सिद्धान्त, जिसके अन्तर्गत किसी प्रशासन योजना का अनुमोदन किया जा सकता है ;

(दग) समयावधि, जिसमें धारा 22–ग की उपधारा (2) के अधीन निदेशक को अभ्यावेदन दिया जा सकता है ;

(दघ) समयावधि, जिसकी समाप्ति पर किसी प्रशासन योजना के प्रारूप को धारा 22–ग की उपधारा (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन निदेशक द्वारा अनुमोदित किया गया समझा जायेगा ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1974 की धारा 5(1) द्वारा प्रतिस्थापित और सदैव से प्रतिस्थापित समझा जाय।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 35, 1974 की धारा 5(2) द्वारा निकाला गया।
3. उपर्युक्त की धारा 5(2) द्वारा बढ़ाया गया।

(दङ) समयावधि, जिसमें धारा 22—ग की उपधारा (3) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी सम्बद्ध संस्था द्वारा अभ्यावेदन किया जा सकता है ;

(दच) धारा 22—ङ की उपधारा (2) तथा उपधारा (3) में अभिदिष्ट चयन समिति का संघटन, उनकी बैठकों में कार्य संचालन और सम्भागीय पैनलों का तैयार किया जाना ;

(दछ) धारा 22—च की उपधारा (2) के अधीन निदेशक को अग्रसारित किये जाने वाले विवरण ;

(दज) सम्बद्ध संस्थाओं के प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित समस्त विषय।]

(ध) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम का तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन विनियमों द्वारा नियत किया जाना हो अथवा नियत किया जा सके।

उपविधियां बनाने का अधिकार

24—(1) परिषद्, इस अधिनियम तथा तद्धीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने के लिये उपविधियां बना सकती है।

(2) पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त उपविधियों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है—

(क) परिषद् की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या ;

(ख) परिषद्, समिति या उपसमिति के सदस्यों को उसकी बैठक के दिनांक तथा उस बैठक में विचारणीय बातों की सूचना देना और उक्त बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखना ; और

(ग) कोई अन्य विषय इन अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन उपविधियों द्वारा नियत किया जाता हो अथवा नियत किया जा सके।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

25—इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर —

(1) समय—समय पर यथापरिष्कृत, दिनांक 13 मई, 1958 की सरकारी आज्ञा संख्या 1687—ए/3—160—के—1958 के अधीन संघटित बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजूकेशन (जिसे यहां आगे ''प्राविधिक शिक्षा बोर्ड'' कहा गया है) को उस समय तक धारा 3 के अधीन स्थापित परिषद् समझा जायेगा जब तक कि उक्त धारा तथा धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार परिषद् की स्थापना नहीं हो जाती और परिषद् की इस प्रकार स्थापना हो जाने पर प्राविधिक शिक्षा बोर्ड विघटित हो जायगा ;

(2) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन तथा वाइस—चेयरमैन को क्रमशः धारा 4 के अधीन नियुक्त सभापति तथा उप—सभापति उस समय तक समझा जायेगा जब तक कि उक्त धारा के अनुसार, यथास्थिति, सभापति अथवा उप—सभापति की नियुक्ति नहीं हो जाती ;

(3) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड को पाठ्य–पुस्तक तथा पाठ्यचर्या समिति (Text Book and Syllabus Committee), परीक्षा समिति (Examination Committee), परीक्षा–फल समिति (Result Committee), तथा निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति (Inspection and Affiliation Committee), में से प्रत्येक उस समय तक धारा 18 के अधीन संघटित समिति के रूप में कार्य करेगी जब तक कि उस धारा के अधीन तत्सदृश समिति संघटित नहीं हो जाती और समिति के इस प्रकार संघटित हो जाने पर प्राविधिक शिक्षा बोर्ड की तत्सदृश समिति विघटित हो जायेगी ;

(4) प्राविधिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध प्रत्येक संस्था उन्हीं शर्तों पर परिषद् से सम्बद्ध समझी जायेगी ; और

(5) उक्त प्रारम्भ के पूर्व प्राविधिक शिक्षा बोर्ड द्वारा पारित कोई संकल्प, जब तक कि उस विषय पर विनियम न बन जायें, उसी प्रकार प्रभावी होगा जैसा कि इस अधिनियम के अधीन बनाया गया कोई विनियम।

कठिनाइयां दूर करने का अधिकार

26–राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में उत्पन्न होने वाली किसी कठिनाई को दूर करने के लिये, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के बाद एक वर्ष की अवधि के दौरान में किसी ऐसे विषय का आदेश द्वारा विनियमन कर सकती है जो इस अधिनियम के अधीन नियम अथवा विनियम द्वारा विनियमित होना है, भले ही इस अधिनियम में कोई अन्य बात दी हो।